न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(57)

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक अपील 1202-पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 20-1-2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 153/13-24/अपील.

क्राइस्ट चर्च मुरार, ग्वालियर द्वारा सचिव
एल्फ्रेड केम्प पुत्र एस. केम्प
निवासी 11, ज्योति नगर, ठाटीपुर
मुरार, ग्वालियर .....अपीलार्थी

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन
   द्वारा सचिव, राजस्व विभाग
   वल्लभ भवन, भोपाल
2. कलेक्टर, जिला ग्वालियर
3. इंडियन चर्च ट्रस्टीज, चर्च ऑफ इंडिया
   सी.आई.पी.बी.सी. डायोसिस ऑफ नागपुर
   द्वारा चेयरमेन, हेड ऑफिस क्राइस्ट चर्च
   महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ (उ.प्र.)
4. चर्च ऑफ इंडिया सी.आई.पी.बी.सी.
   द्वारा तथाकथित चेयरमेन श्रीधर इंग्ले
   सी-2, काकड़ा अभिनव होम्स
   अयोध्या बायपास रोड, भोपाल
5. डायोसिस ऑफ नागपुर सी.आई.पी.बी.सी.
   चर्च ऑफ इंडिया द्वारा वेनरेबल फादर
   एच.एन. मसीह, आर्चडीकन एण्ड मेट्रोपोलिटन
   कमिश्नरी, इंडियन चर्च ट्रस्टीज
   सी.आई.पी.बी.सी.चर्च ऑफ इंडिया
   स्थानीय पता क्राइस्ट चर्च केम्पस
   सी.पी. कॉलौनी, मुरार, ग्वालियर .....प्रत्यर्थीगण

श्री एस.के. अवस्थी, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री अजय चतुर्वेदी, अभिभाषक, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 व 2
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, प्रत्यर्थी क्रमांक 3 व 5

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/11/18 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-1-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कलेक्टर, ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 46/11-12/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5-11-2001 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर को यह निर्देश दिया गया था कि ग्राम पुरानी छावनी स्थित सर्वे क्रमांक 783, 784, 785 एवं 786 के संबंध जांच कर विधि अनुसार नोईयत परिवर्तन करने हेतु पृथक से प्रस्ताव भेजा जाये और यदि विद्यालय के लिए ग्राम छावनी में भूमि की आवश्यकता हो तो अन्य भूमि चयन कर भूमि के आरक्षित/आबंटन हेतु पृथक से प्रस्ताव भेजा जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपर तहसीलदार, वृत्त पुरानी छावनी, ग्वालियर से जांच प्रतिवेदन दिनांक 4-6-13 प्राप्त कर, अपर कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया । जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/12-13/अ-19(2) दर्ज कर दिनांक 28-9-13 को आदेश पारित कर इंडियान चर्च ट्रस्टीजचर्च आफ इंडिया सी.आई.पी.बी.सी. डायसिस ऑफ नागपुर के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष दिनांक 3-2-14 को विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई । अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब माफी के लिए अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान चर्च आफ इंडिया सी.आई.पी.बी.सी. द्वारा चेयरमेन श्रीधर इंग्ले द्वारा पक्षकार बनाये जाने हेतु व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 21-10-2014 को अंतरिम आदेश पारित कर, उन्हें प्रत्यर्थी क्रमांक4 के रूप में पक्षकार बनाये जाने का आदेश दिया गया । अपर आयुक्त के अंतरिम आदेश के

विरूद्ध मेट्रोपोलिटन कमिशनरी विनरेबिल फादर हीरा मसीह आर्थडिकन इंडियन चर्च ट्रस्टी डायसिस आफ नागपुर चर्च ऑफ इंडिया (सी.आई.पी.बी.सी.) क्राइस्त चर्च मुरार द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई, जिसमें इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी 3856-पीबीआर/14 में पारित आदेश दिनांक 7-10-15 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त किया जाकर, अपर आयुक्त द्वारा पारित अंतरिम आदेश 21-10-2014 यथावत रखा गया । इस न्यायालय से प्रकरण प्राप्त होने पर अपर आयुक्त द्वारा उभय पक्ष को सूचना पत्र जारी किये गये, किन्तु सूचना उपरांत भी सुनवाई के लिए उभय पक्ष के अनुपस्थित रहने पर अभिलेख के आधार पर दिनांक 20-1-2016 को आदेश पारित कर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-9-13 निरस्त किया जाकर, उक्त आदेश के अनुसरण में की गई राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियां भी निरस्त की जाकर प्रश्नाधीन भूमि शासकीय दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23-2-2015 को अपील नहीं चलाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसका उल्लेख भी अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश के पद क्रमांक 4 पर किया गया है, किन्तु अपर आयुक्त द्वारा उक्त आवेदन पत्र पर बिना विचार किये मनमाने तौर प्रकरण का गुण-दोष पर आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि यदि अपीलार्थी द्वारा अपील नहीं चलाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, तब अपर आयुक्त को अपीलार्थी के उक्त आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण उसी स्तर पर समाप्त करना चाहिए था, क्योंकि कानूनन किसी भी व्यक्ति को प्रकरण आगे चलाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है । इस आधार पर कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार रहित होकर निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा मात्र कल्पना के आधार पर अपने आदेश के पद क्रमांक 4 में दुरभिसंधि किये जाने का उल्लेख किया गया है । दुरभिसंधि कैसे हुई, इसका कोई उल्लेख आदेश में नहीं है, जबकि बिना जांच किये, दुरभिसंधि किये जाने के तथ्य को मानना वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है और न ही कलेक्टर का आदेश अधिकारिता रहित मानना भी प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा इंडियन चर्च एक्ट, 1927 दिसंबर 1960 की धारा 3 पर कोई विचार ही नहीं किया गया है, क्योंकि धारा 3

के अनुसार निरसित हुए अधिनियम का प्रभाव वर्तमान प्रकरण पर नहीं पड़ता है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 32 की शक्तियों का प्रयोग कर आदेश पारित किया गया है, जो कि अवैधानिक एवं अनियमित है, क्योंकि जब अपीलार्थी ही अपील नहीं चलाना चाहता है तब अपर आयुक्त का क्षेत्राधिकार समाप्त होने से पारित आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु बिना सूचना दिये आदेश पारित करने में कानूनन भूल की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा अपील में स्वमेव निगरानी की कार्यवाही करना नितांत अनुचित, अवैध, विधि विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है । तर्कों के समर्थन में 1997 आर.एन. 208 का न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया ।

4/ प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषकों द्वारा सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करना था, परन्तु उनके द्वारा नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अत: प्रकरण का निराकरण अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है ।

5/ प्रत्यर्थी क्रमांक 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। एक बार शासकीय भूमि (शासकीय विद्यालय) दर्ज होने पर तत्समय प्रचलित संहिता के प्रावधान 57(2) के तहत उक्त भूमि पर निजी संस्था का नाम लिखने का अधिकार कलेक्टर को नहीं था। संहिता की धारा 115-116 में भी तहसीलदार को शक्तियां हैं तथा इन धाराओं में भी कलेक्टर स्वयं कार्यवाही नहीं कर सकते थे। इंडियन चर्च एक्ट, 1927 के संबंध में उक्त एक्ट के अब प्रभावशील न होने के अपर आयुक्त के निष्कर्ष भी पूरी तरह वैधानिक है, जिसका कोई खण्डन भी नहीं किया गया है। अपीलार्थी का एकमात्र आधार यही है कि उसने अपर आयुक्त को अपील न चलाने का आवेदन दिया था, जो मान्य नहीं करने में त्रुटि की गई है। अपीलार्थी का यह कृत्य स्वयमेव संदेहास्पद है, क्योंकि वह पहले तो कलेक्टर के आदेश से असंतुष्ट होकर स्वयं को चर्च का अधिकृत प्रतिनिधि बताते हुए अपील पेश की और जब यह तथ्य प्रकाश में आया कि इंडियन चर्च एक्ट के प्रभावशील न होने से सभी पक्षों का वैधानिक अस्तित्व समाप्त हो चुका है, तो उन्होंने अपील वापिसी का आवेदन लगा दिया। यदि तब उनका अपील चलाने का औचित्य समाप्त हो गया था तो अब उन्होंने यह दूसरी अपील क्यों पेश की, यह भी समझ से परे है। वैसे भी सही वैधानिक स्थिति प्रकाश में आने पर शासन का

प्रतिनिधि होने से यह अपर आयुक्त का उत्तरदायित्व था कि वह अपील को खारिज ना करते हुए शासन के हितों को संरक्षित करने के लिए समुचित आदेश करे । उक्त प्रकाश में अपर आयुक्त के आदेश में कोई त्रुटि नहीं होने से उसकी पुष्टि की जाती है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-8-13 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर